न्यायालय सहायक कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी– विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
143/2017 (RCMS 2017/00023)	**10.08.2017**	**20.09.2019**

अनवान

श्रीमती धन्नीबाई पिता भेरा जी जाति जाट आयु वयस्क निवासी गोपालपुरा तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़।

वादीया

बनाम

1. चम्पालाल पिता भेरा जी जाति जाट आयु वयस्क निवासी गोपालपुरा तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ ।
2. देवीलाल पिता छोगा जी जाति जाट आयु वयस्क निवासी लाखों का खेडा तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ ।
3. सरकार जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ ।
4. उप पंजीयक उप पंजीयन कार्यालय चित्तौड़गढ़ तहसील व चित्तौड़गढ़।

प्रतिवादीगण

उपस्थिति :–		
	अधिवक्ता श्री रमेश पालीवाल	वादीगण
	अधिवक्ता श्री छोगालाल जाट	प्रतिवादी संख्या 1 से 2 तक
	पैरोकार सरकार	प्रतिवादी संख्या 3

–:: वादपत्र घोषणात्मक डिक्री बंटवाडा स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 ::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार हैं कि वादीया ने वाद पत्र खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय का प्रस्तुत निवेदन किया कि वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मूल पुरूष भेरा पिता कालु जाट निवासी गोपालपुरा चक–ए के निवासी होकर मूल पुरूष कालु का वारिसान सजरा मुताबिक वादपत्र है। कालु जी जाट के मौजा गोपालपुरा चक–ए में कृषि आराजीयात आराजी संख्या 452 रकबा 0.03 हैक्टर आराजी संख्या 453 रकबा 0.08 हैक्टर आराजी संख्या 454 रकबा 1.55 हैक्टर आराजी संख्या 455 रकबा 1.12 हैक्टर आराजी संख्या 456 रकबा 0.48 हैक्टर आराजी संख्या 457 रकबा 0.05 हैक्टर आराजी संख्या 458 रकबा 0.86 हैक्टर आराजी संख्या 459 रकबा 0.91 हैक्टर कुल किता 8 कुल रकबा 5.08 हैक्टर दर्ज रिकार्ड रही है। उक्त आराजीयात मूल पुरूष वादीया के दादा कालुजी के खातेदारी में दर्ज

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रिकार्ड रही व कालु के मरने के पश्चात् उक्त आराजीयात कालु के पुत्र वादीया के पिता भेरा के नाम पर दर्ज रेकार्ड कर दी गई। व भेरा का भी स्वर्गवास होने पर भेरा के वारिसान वादीया प्रतिवादी संख्या 1 व मु0 धापु बेवा भेरा थें फिर भी प्रतिवादी संख्या 1 ने राजस्व अधिकारियों से मिली भगत कर उक्त आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 व धापूबाई के नाम पर दर्ज रेकार्ड करवा ली गई व उसके पश्चात् धापूबाई से हक त्याग नाम निष्पादित करवा सम्पूर्ण हक व हिस्सा अकेल प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज रेकार्ड करवा ली गई व उसी में से आराजी संख्या 459 रकबा 0.91 हैक्टर भूमि प्रतिवादी संख्या 2 को जरिये तथा कथित बहनामा हस्तान्तरित कर दी जिसका नामान्तरकरण संख्या 164 दिनांक 10.08.2009 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम स्वीकृत करवा लिया जो वादीया के सम्पूर्ण कृषि आराजीयात में 1/3 हक व हिस्से की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने की अधिकारिणी होने से वादपत्र वादीया घोषणात्मक डिक्री पेश है। विवादित कृषि आराजीयात वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 व धापूबाई के पिता व पति भेरा की थी भेरा के वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 व मु0 धापूबाई वैध वारिसान है व उसी अनुसार वादीया विवादित कृषि आराजीयात में से 1/3 हक व हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 1 के साथ संयुक्त रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग करती चली आ रही है जिससे वादीया सम्पूर्ण कृषि आराजीयात में 1/3 हक व हिस्से की घोषणा व उसी अनुसार बंटवाडा करवायें जाने की अधिकारिणी होने से वादपत्र वादीया घोषणात्मक डिक्री व बंटवाडा आराजीयात पेश है। विवादित आराजीयात वादीया प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक कृषि आराजीयात वादीया अपने हक व हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करती चली आ रही है, फिर भी वादीया का नाम राजस्व रेकार्ड में नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मिली भगत कर वादीया को विवादित आराजीयात के बेदखल करने पर आमादा है जिससे प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी करवाया जाना आवश्यक हो जाने से वादपत्र स्थाई निषेधाज्ञा पेश है। बिनाया मुखास्मात वाद कारण दिनांक 19.07.2017 को प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने वादीया को विवादित कृषि आराजीयात से बेदखल करने का असफल प्रयास किया जिससे वाद कारण पैदा होकर निरन्तर जारी है जिससे वादपत्र वादीगण अंदर मियाद पेश है। अतः श्रीमान् से निवेदन हैं कि वादपत्र पक्ष वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण के स्वीकार किया जाकर वाद वर्णित आराजीयात में वादीया का 1/3 हक व हिस्सा घोषित कराये

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जाने की डिक्री प्रदान करायी जावें। पक्ष वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर वाद वर्णित आराजीयात में वादीया का हक व हिस्सा घोषित फरमाया जाकर वादीया के हक व हिस्से में आयी आराजीयात का बंटवाडा कराये जाने की डिक्री प्रदान करायी जावें। पक्ष वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर वाद वर्णित आराजीयात को रहन बहस बक्षीश नहीं करे एवं न ही किसी अन्य से करावें एवं न ही विवादित आराजीयात से वादीया को बेदखल ही करे न ही किसी अन्य से करावें।

इस पर वादीया के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन के तलब किया गया। इस पर दिनांक 11.09.2017 को प्रतिवादी संख्या 1, 2 की और से उनके अधिवक्ता छोगालाल जाट ने अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी का प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है, जिसकी नकल वकील वादीगण को दिलवाई गई। अपने प्रार्थना पत्र में प्रतिवादीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थीया वादीया ने श्रीमान के न्यायालय में प्रार्थी प्रतिवादी के विरूद्ध प्रार्थी प्रतिवादी के खाते में दर्ज आराजीयात के संबंध में पैतृक सम्पत्ति होना मानते हुए प्रस्तुत किया है। विवादित आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज रेकार्ड हैं। उक्त आराजीयात में से आराजी संख्या 459 रकबा 0.91 हैक्टर प्रतिवादी ने मिलकर जरिये पंजीकृत बहनामा प्रतिवादी संख्या 2 को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया। उक्त आराजीयात पर प्रतिवादी संख्या 2 काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। उक्त आराजीयात में से आराजी संख्या 459 जरिये पंजीकृत बहनामा प्रतिवादी संख्या 2 ने क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। उक्त बहनामा वादपत्र प्रस्तुत किये जाने से पूर्व ही पंजीकत हो चुका है। ऐसी स्थिति में जब तक वादीया पंजीकृत बहनामें को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करा लेती है। तब तक वादीया को घोषणा एवं बंटवाडा का वादपत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं रह जाता है। वादीया माधु पिता उदेराम जाट निवासी गोपालपुरा की धर्मपत्नि रही है व माधु पिता उदेराम जाट का स्वर्गवास होकर माधु पिता उदेराम जाट की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 215 दिनांक 05.11.2012 स्वीकृत होकर वादीया व उसके अन्य पुत्र व पुत्रियों के नाम स्वीकृत हो चुका है व वादीया ने अपने पति के विरासत जरिये

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विरासतीय नामान्तरकरण प्राप्त कर ली है। ऐसी स्थिति में वादीया कानूनी रूप से पिता की विरासत प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। फिर भी वादीया ने अपने पिता की विरासत में से हक प्राप्त करने के लिए वादपत्र प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नहीं है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर वादीया की ओर से प्रस्तुत वादपत्र मय हर्जे खर्चे निरस्त फरमाया जाने की डिक्री प्रदान करायी जावें। वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की नकल वकील वादी को दिलवाई गई। इस पर दिनांक 03.09.2019 को वकील वादी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो कि शामिल पत्रावली है। वकील वादी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में बताया कि विवादित आराजीयात प्रतिवादी के खाते में दर्ज है एवं पैतृक है यह बात सही है पिता की जायदाद में वादीया हकदार है क्योंकि पुत्री है। विवादित आराजीयात प्रतिवादी के नाम पर दर्ज है। इसके अलावा वादपत्र में वर्णित आराजीयात में भी वादीया का हक निहित है। आराजी संख्या 459 पर वादीया का कब्जा है। प्रतिवादीगण ने आराजी संख्या 459 बेची है जो गलत है। वादीया की जानकारी में नहीं थी केवल मात्र विपक्षीगण द्वारा आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 लगा देने मात्र से ही दावा बाध्य नहीं है क्योंकि वादीया की पुश्तैनी जायदाद है ऐसी स्थिति में वादीया को घोषणा एवं बंटवाडे का वाद पत्र प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार है और रह जाता है। वादीया माधु जी की धर्म पत्नि है जो सही है। माधु पिता उदयराम जाट की विरासत का नामान्तरकरण खुला हो इसकी जानकारी नहीं है। वादीया के पति माधु जाट का विरासत से इंतकाल खुला हो इसका संबंध पिता संपत्ति से नहीं है। वादीया ने अपने पिता की विरासत में से हक प्राप्त करने के लिए वादपत्र प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रतिवादीगण/विपक्षी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र खारीज किया जावें।

पत्रावली में प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी का रिकार्ड पर होने से सर्वप्रथम इस प्रार्थना पत्र को निर्णित किये जाने के आज्ञापक प्रावधान विधि अनुसार है ऐसी स्थिति में पत्रावली पर अग्रिम कार्यवाही को रिजर्व की जाकर सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 में कार्यवाही की गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जवाब प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 की नकल अधिवक्ता वादी को दिनांक 03.09.2019 को दिलवाई गई। दिनांक 17.09.2019 को उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी की गई जिसें उभयपक्ष सुना गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस पर चिंतन, मनन किया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण (वादपत्र के प्रतिवादी) ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र में कोई फ्रोड व मिसरिप्रेजेंटेशन व बोगस ट्रांजेक्शन नहीं होकर उक्त भूमि बाजार भाव से विक्रित की गई है। वादग्रस्त आराजीयात में वादीया का कोई हक व हिस्सा नहीं होने से यह किसी भी प्रकार से हक अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी कराने के अधिकारी नहीं हैं उक्त विक्रय पत्र बाबत् वादीया की सहमति एवं पूर्ण जानकारी में किया गया हैं इसलिये वादीया उक्त विक्रय पत्र से पूरी तरह से पाबंद है। प्रस्तुत वाद में विक्रय पत्र को अवैध घोषित करने एवं फिर खातेदारी की घोषणा करने की दाद चाही गई हैं जो कि बिना विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय से अमान्य करार दिये बगैर किया जाना संभव नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किया गया विक्रय पत्र कर्ता परिवार होने से नाते से किया एवं विक्रय पत्र में रूपयों की वैद्य आवश्यकता अंकित करते हुए प्रतिवादी संख्या 2 को भूमि का विक्रय कर्ता परिवार के नाते किया ऐसी स्थिति में वादीगण के लिये जो विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष किया रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सक्षम दीवानी न्यायालय से निरस्त कराये बगैर क्योंकि वादीया के लिए उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र अमान्य करणीय(वोईडेबल) होने के कारण दीवानी न्यायालय द्वारा अमान्य(वोईड) करार दिये बगैर वादीया के पक्ष में खातेदारी घोषणा नहीं की जा सकती है। अपनी बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी (प्रतिवादीगण) ने विक्रय पत्र का अवलोकन कराया। जिससे प्रतिवादी संख्या 2 राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज होकर काबिज हुआ। वादीया ने उक्त अंतरण को बोगस अंतरण बताते हुए शून्य व अवैध करार देते हुऐ अप्रभावशाली घोषित कराने हेतु निवेदन किया गया है। उक्त विक्रय पत्र अमान्य(वोईड) न होकर अमान्य करणीय (वोईडेबल) है

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

और अमान्य करणीय विक्रय पत्र को निरस्त करने का अधिकार न्यायालय आप को न होकर दीवानी न्यायालय को है जिससे क्षेत्राधिकार के अभाव में प्रस्तुत वाद की सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण(प्रतिवादीगण) ने अपनी बहस में वादीया का अपने पति से विरासत प्राप्त होना बताया एवं कथन किया वादीया को अपने पति से विरासत के अधिकार प्राप्त हो चुके है ऐसी स्थिति में एक ही व्यक्ति 2 स्थान पर विरासत प्राप्त नहीं कर सकता है यह विधि द्वारा बाधित है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण(प्रतिवादीगण) ने बताया की वादीया द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि वादीया का आराजी संख्या 459 रकबा 0.91 हैक्टर पर कब्जा है जो कि सर्वथा गलत कथन है क्योंकि आराजी संख्या 459 रकबा 0.91 हैक्टर वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 2 के खाते में पंजीकृत विक्रय विलेख से दर्ज अभिलिखित है एवं प्रतिवादी संख्या 2 आराजी संख्या 459 का रिकार्डेड खातेदार है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण(प्रतिवादीगण) अपने तर्को की पुष्ठि में आरआरडी 1988 पेज 610 की माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन कराया। उक्त न्यायिक दृष्टांत जिसमें राजस्व न्यायालय जब तक राहत नहीं दे सकता है तब तक ऐसे विक्रय पत्र जो प्रारम्भ से ही शून्य न होकर अमान्य करणीय(वोईडेबल) हो तो ऐसे वादों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को माना अतः आदेश 07 नियम 10 जा0दी0 के तहत दावे को अदालत मजाज में पेश करने के लिये वापस लौटाने के निर्देश दिये। इसी प्रकार के न्यायिक दृष्टांत आरआरडी पेज संख्या 750 में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र को उचित माना। राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दर्ज रिकार्ड होने से प्रतिवादी संख्या 1 ने जो अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 को विक्रय किया है वह अमान्य करणीय(वोईडेबल) अंतरण है न कि प्रारम्भ से ही शून्य। ऐसी स्थिति में जब तक वादीया उक्त विक्रय पत्रों का सक्षम दीवानी न्यायालय से अवैध घोषित नहीं कराते तक तक राजस्व न्यायालय इन्हे घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी नहीं कर सकता । अतः प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) के प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जावें। इसके खण्डन में विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी(वादीया) ने अपनी बहस में बताया की वादीया हिन्दु

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उत्तराधिकार अधिनियम से शासित होकर जन्म से ही उनका पैतृक सम्पत्ति में हक हिस्सा बनता है जिसे बिना किसी पारिवारिक आवश्यकता के प्रतिवादी संख्या 1 विक्रय नहीं कर सकते है। विवादित आराजीयात पैतृक के साथ ही अविभाज्य होने से वादीगण की सहमति के बिना विक्रय करने का अधिकार प्रतिवादी संख्या 1 को नहीं रहता है। अतः विक्रय पत्र व उसके बाद का अंतरण संपत्ति अंतरण अधिनियम का लिसपेन्डेन्सी सिद्धान्त लागु होने से जो निर्णय प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध होगा वही प्रतिवादी संख्या 2 पर भी लागु होगा। प्रार्थीगण(प्रतिवादीगण) ने जो बिन्दु उठाये है वह सारे बिन्दु जवाबदावें के है जो कि वाद विचारण में ही तय किये जा सकते है। विद्वान अधिवक्त अप्रार्थी(वादीया) ने बताया की वादीया को अपने पिता की विरासत में अपने हक अधिकारों की घोषणा कराये जाने हेतु न्यायालय श्रीमान् के समक्ष उपस्थित हुई ऐसी स्थिति में वादीया के पति से प्राप्त विरासत का पिता की संपत्ति से कोई संबंध नहीं है। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी (वादीगण) ने अपने तर्को की पुष्ठि में न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2010(1) पेज संख्या 273 का अवलोकन कराया जिसमें आदेश 07 नियम 11 वाद पत्र के खारीज करने से संबंधित है जिसमें प्रार्थी ने वाद विधि द्वारा बाधित होने के कारण खारीज करने हेतु आवेदन पेश किया उसे निचली अदालत ने खारीज किया। निगरानी प्रस्तुत होने पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन पिता के जीवनकाल में कृषि भूमि पर पैतृक संपत्ति में पुत्र को अधिकार होता है वाद विधि द्वारा बाधित नहीं होना प्रतिपादित किया। इसी प्रकार न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2003 (1) पेज 513 की माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर का है जिसमें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 207 के अंतर्गत क्षेत्राधिकार बाबत् तनकी बनी जिसमें विक्रय पत्र के निरस्तीकरण की आवश्यकता नहीं बताते हुए राजस्व न्यायालय द्वारा राहत देने को उचित बताया। इसी प्रकार आरआरटी 2003(1) पेज 633 में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा आदेश 07 नियम 11 के अंतर्गत वाद खारीज करने हेतु आवेदन खारीज किया प्रतिवादी सारी आपत्तियां जवाब दावें में उठा सकता है उसके बाद विधिक तनकी पर निर्णय किया जा सकता हैं। इस प्रकार वाद के प्रारंभिक स्तर पर वाद के खारीज किये जाने को न्यायोचित नहीं माना। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण(प्रतिवादीगण) ने उक्त न्यायिक विनिश्चय का खण्डन करते हुए

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 का हवाला देते हुए वाद किसी स्टेज पर खारीज किया जा सकता है के बारे में जा0दी0 में स्पष्ट है कि वाद दावे के किसी भी स्टेज पर खारीज किया जा सकता है तथा एआईआर 2002 कलकत्ता 247 (253) डबल बैंच द्वारा यह प्रतिपादित किया कि चाहे जवाबदावा प्रस्तुत हुआ हो अथवा नहीं या तनकी बनी अथवा नहीं दावा किसी भी स्टेज पर आदेश 07 नियम 11 के तहत खारीज किया जा सकता है। इसमें मात्र न्यायालय को यह ध्यान रखना है कि वाद विधि द्वारा वर्जित है अथवा वादी को वाद कारण प्राप्त नहीं है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) का यह भी कथन है कि प्रतिवादी को आदेश 07 नियम 11 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता ही नहीं हैं। स्वप्रेरणा से न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार नहीं होता वहां प्रस्तुत वाद को खारीज कर सकते हे। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) ने स्वयं वादीया द्वारा जो दाद चाही गई है उसमें प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में किये गये विक्रय पत्र को अवैध अनुचित व प्रभावशील घोषित कराने की दाद मानते हुए वादीगण को खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा की दाद चाही है। ऐसी स्थिति में जब तक सक्षम सिविल न्यायालय से वादीगण विक्रय पत्र को अवैध घोषित नहीं कराते उन्हे दाद हासिल नहीं हो सकती ।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र का मनन किया। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत पर चिंतन मनन करने पर यह पाया कि हिन्दु विधि के अनुसार संयुक्त परिवार के कर्ता की हैसियत से विधिक आवश्यकता के किये गये अंतरण को वोईड न होकर अमान्य करणीय (वोईडेबल) माना है तथा वोईडेबल अंतरणों का निरस्त करने का अधिकार इस न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय का ही अनन्य अधिकार क्षेत्र है। तथा आदेश 07 नियम 11 में किसी भी स्टेज पर सुनवाई की अधिकारिता न होने पर दावे को खारीज किया जा सकना पाया है। इस वादपत्र की सुनवाई का इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है एवं **Bard by Law** है।

अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं साक्ष्य के आधार पर प्रार्थीगण(प्रतिवादीगण) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 दिनांक 11.09. 2017 को स्वीकार किया जाता है। जिसके फलस्वरूप यह वादपत्र

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इस न्यायालय में क्षेत्राधिकारिता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होना पाया जाता हैं, जिससे यह वादीगण का वादपत्र न्यायालय में क्षेत्राधिकारिता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से नामंजूर किया जाता है। वादीगण सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने के लिये स्वतंत्र है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावें।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **<u>20.09.2019</u>** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
चित्तौड़गढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अनवान

श्रीमती धन्नीबाई पिता भेरा जी जाति जाट आयु वयस्क निवासी गोपालपुरा तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़।

वादीया

बनाम

1. चम्पालाल पिता भेरा जी जाति जाट आयु वयस्क निवासी गोपालपुरा तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ ।
2. देवीलाल पिता छोगा जी जाति जाट आयु वयस्क निवासी लाखों का खेडा तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ ।
3. सरकार जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ ।
4. उप पंजीयक उप पंजीयन कार्यालय चित्तौड़गढ़ तहसील व चित्तौड़गढ़।

प्रतिवादीगण

–:: वादपत्र घोषणात्मक डिक्री बंटवाडा स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 ::–

प्रकरण संख्या :– 143/2017
(RCMS 2017/00023)

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलात कतई रुबरु बहाजिरी श्री रमेश पालीवाल अधिवक्ता वादी श्री छोगालाल जाट अधिवक्ता प्रतिवादीगण मिनजतिब मुदालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वादपत्र न्यायालय में क्षेत्राधिकारिता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से नामंजूर किया जाता है। वादीगण सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने के लिये स्वतंत्र है। निर्णयानुसार पर्चा डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **20.09.2019** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
चित्तौड़गढ

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयत	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबतईजराय हुक्मनामा			बाबतईजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(विनोद कुमार)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
चित्तौड़गढ